

मांग संख्या 10
मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 1

न्यायालयीन प्रकरण में निजी अधिवक्ताओं को देय फीस के भुगतान हेतु राशि ₹ 41.80 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 41,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

डिक्रीधन के भुगतान हेतु राशि ₹ 28.32 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 28,32,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के लघु निर्माण कार्य मद में राशि ₹ 16.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4

क्षेत्रीय वन मण्डल अंतर्गत किराया, महसूल एवं कर मद में राशि ₹ 24.05 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 24,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।